न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / 4164 / 2005 / जोधपुर

महाप्रबंधक (परियोजना), ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान परियोजना, इन्द्रप्रस्थ रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती हरप्यारी पत्नी स्व. लवप्रकाश (मृत्तका–नाम तर्क)
2. श्रीमती प्रमिला
3. श्रीमती शर्मिला } पुत्रियां स्व. लवप्रकाश
4. श्रीमती मनीला

   समस्त निवासी नागौरी बेरा, मण्डोर, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार।

—— प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री बी.एल.गुप्ता, सदस्य
श्री बी.एल.नवल, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री भवानीसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।
(2) श्री विरेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांक : 09 मई, 2012

यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 40 / 99 उनवानी महाप्रबंधक ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम श्रीमती हरप्यारी में पारित निर्णय दिनांक 15–1–2001 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2– अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण ने एक दावा धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मण्डोर, तहसील जोधपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 1586 / 1, रकबा 1.19 बीघा, खसरा नं0 1585 / 1 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा नं0 1586 / 9 रकबा 1.16 बीघा व खसरा नं0

1588/2 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 4 रकबा 6.08 बीघा जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 के अनुसार प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि हैं। इस भूमि पर पहले लवप्रकाश का कब्जा चला आ रहा था, उनकी मृत्यु के पश्चात् अब प्रत्यर्थीगण का कब्जा हैं। अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति कानून के तहत आवश्यक भूमि अवाप्त कर सुपूर्द की गई, जिसमें प्रत्यर्थीगण की वादग्रस्त भूमि वर्णित नहीं थी। प्रत्यर्थीगण का आरोप हैं कि अपीलार्थी बिना अधिकार के उनके उक्त वर्णित कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने विधिक कार्यवाही उपरान्त वादी का वाद दिनांक 29–4–1994 को डिक्री करते हुए अपीलार्थी को धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पाबंद कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–4–1994 के विरूद्ध विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष दिनांक 16–8–1999 को अपील पेश की गई, जिसमें धारा 5, मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील की विस्तृत सुनवाई कर, अपील मियाद बिन्दु पर ही "होपलेसली टाईम बार्ड" मानते हुए दिनांक 15–1–2001 को अस्वीकार कर दी। विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी दिनांक 23–2–2001 को पेश की गई। अपीलार्थी के निवेदन पर दिनांक 01–8–2005 को प्रस्तुत निगरानी, अपील में परिवर्तित की गई।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी। प्रत्यर्थीगण की तरफ से लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

4– अपीलार्थी की तरफ से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान् अभिभाषक श्री भवानीसिंह शक्तावत ने अपील मीमों के विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि ओ.एन.जी.सी. को भूमि अवाप्ति कानून के अनुसार निश्चित् भूमि अवाप्त की जाकर आराजी खसरा नंबरान का कब्जा सुपूर्द किया, उन्हीं खसरा नम्बरान पर ऑयल एवं नेचूरल गैस कमिशन द्वारा चारदिवारी निर्माण कर गेट लगा रखा हैं। प्रत्यर्थीगण की वादग्रस्त किसी आराजी पर ओ.एन.जी.सी. का कब्जा नहीं हैं। परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामा के प्रयास चलते रहे। राजीनामा नहीं होने की स्थिति में जवाबदावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम की एवं वादीगण की गवाही कराई गई। अपीलार्थी–प्रतिवादी को साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। बहस उपरान्त प्रत्यर्थीगण का दावा डिक्री कर दिया गया। योग्य अभिभाषक का आगे कहना हैं कि परीक्षण न्यायालय के डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में विद्वान् राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने निर्णय दिनांक 15–1–2001 तो विस्तार से व्याख्या कर लिखा, मगर मियाद बिन्दु पर अपना ध्यान केन्द्रित कर अपील निर्णित करते हुए खारिज कर दी।

अपील गुणावगुण पर निर्णित करनी चाहिए थी। अपीलीय न्यायालय को चाहिए था कि वे मियाद बिन्दु पर लचीला रूख अपनाते हुए, अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते, परन्तु अपीलीय न्यायालय ने कठोर रूख अपनाते हुए मियाद बिन्दु पर गलत तरीके से, मनमाने तौर पर, विधि विरूद्ध अपील खारिज की जो अनुचित थी, अपील गुणागुण पर फैसल करनी चाहिए थी। इस कथन के संबंध में 2008 (I) डी.एन.जे. 213 (राज.), 1998 आर.आर.डी. 319, 2009 (I) आर.एल.डब्लु. 157 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। विद्धान् अभिभाषक का यह भी तर्क हैं कि उनके अधिवक्ता द्वारा ओ.एन.जी.सी. को परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की समय पर सूचना नहीं देने से देरी हुई। अभिभाषक की गलती का नुकसान पक्षकार को ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों अधिनस्थ न्यायालयों का निर्णय अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें। इस बाबत् 2008 (2) आर.एल.डब्लु. 1346 (राज.) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5— प्रत्यर्थीगण की तरफ से विद्धान् अभिभाषक श्री विरेन्द्र सिंह ने लिखित बहस पेश करते हुए मौखिक बहस में न्यायालय को अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मण्डोर, खसरा नं0 1586/1, 1585/1, 1586/9 व 1588/2 कुल रकबा 6.08 बीघा का रिकार्डेड खातेदार प्रत्यर्थीगण के पति—पिता लवकुमार थे। उनकी मृत्यु के बाद विरासतन यह भूमि प्रत्यर्थीगण के नाम रिकार्ड में अंकित हो गई। प्रत्यर्थीगण की यह भूमि पैतृक सम्पत्ति हैं एवं पीढ़ियों से उनका ही कब्जा काश्त हैं। भूमि से संबंधित नक्शा भी पेश किया हैं, जो प्रदर्श पी—1 हैं एवं जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 प्रदर्श पी—2 भी पेश की गई हैं।

6— लिखित बहस में बताया गया कि राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील मीमों तथा विचारण न्यायालय में जवाब दावे में अपीलार्थी ने स्वीकार किया हैं कि प्रत्यर्थी—वादी की खातेदारी भूमि पर ओ.एन.जी.सी. का न तो कब्जा हैं व न ही उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इस स्वीकारोक्ति से अब अपीलार्थी अपने कथन के विरूद्ध बोलने के लिए एस्टोप्ड हैं, जैसा कि 2006 एस.एस.सी. 552 व 2010 (1) आर.आर.टी. 19 में माना गया हैं। विद्धान् अभिभाषक ने आगे बताया कि परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 29—4—1994 के विरूद्ध दिनांक 16—8—1999 को पेश अपील भारी मियाद बाहर थी, मगर अपीलार्थी ने विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष धारा 5, मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र दिया, वह बेहद झूंठा, सत्यता से परे, बनावटी व मनमाना हैं। इस असत्य कथन पर ओ.एन.जी.सी. के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के समय अपीलार्थी ओ.एन.जी.सी. के अभिभाषक उपस्थित थे, एवं अभिभाषक की उपस्थिति, पक्षकार की उपस्थिति मानी जाती हैं। इस सम्बन्ध में 1981 ए.आई.आर. पृष्ठ 1921 (एस.सी.) व 2000 आर.आर.डी. 194 (एच.सी.), 1998 आर.आर.डी. 639 (एच.सी.),

1997 (II) आर.एल.डब्लु. 845 (राज.) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7— विद्धान् अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की हैं, वह रिकार्ड से भी स्पष्ट साबित हैं। ओ.एन.जी.सी. के अभिभाषक श्री दशरथमल लोढ़ा ने दिनांक 07—4—1998 को ओ.एन.जी.सी. को सूचित किया, जिसमें इजराय प्रकरण संख्या 17 / 97 में दिनांक 20—8—98 को प्रस्तुत जवाब में विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी, जबकि अपील दिनांक 16—8—99 को प्रस्तुत की गई, जो 11 माह 26 दिन बाद देरी से पेश की गई हैं। ओ.एन. जी.सी. के मैनेजर (पी.) के पत्र दिनांक 16—11—1998, जो कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार, जोधपुर को लिखा था, उसमें यह अंकन आया हैं कि फरवरी, 95 में अभिभाषक श्री दशरथमल लोढ़ा ने ओ.एन.जी.सी. कार्यालय को बताया कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29—4—1994 पर ओ.एन.जी.सी. के वरिष्ठ अभिभाषक श्री एम.जी.गुप्ता की विशेषज्ञ राय ली गई, जिन्होंने इस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकती, की सलाह दी। इस प्रकार ओ.एन.जी.सी. को फरवरी, 95 में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हो गई थी एवं इस तिथि से 4 वर्ष 6 माह बाद अपील प्रस्तुत की गई। इजराय प्रकरण संख्या 6 / 98 में ओ.एन.जी.सी. द्वारा दिनांक 03—2—1999 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा में हस्ताक्षर से भी यह स्पष्ट होता हैं कि ओ.एन.जी. सी. को विचारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी हो गई थी एवं इस जानकारी से भी 6 माह 13 दिन बाद अपील प्रस्तुत की गई। इजराय प्रकरण संख्या 17 / 97 में ओ.एन.जी.सी. व प्रत्यर्थीगण की तरफ से दिनांक 28—4—1998 को मापांकन व सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र में ओ.एन.जी.सी. के वकील व महाप्रबंधक अनिता टकरू के हस्ताक्षर हैं, जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि सहायक जिलाधीश के निर्णय व डिक्री का क्रियान्वयन बिना सीमांकन व मापांकन के संभव नहीं हैं। इस प्रकार ओ.एन.जी.सी. को परीक्षण न्यायालय के निर्णय की जानकारी होना पाया जाता है एवं इस दिनांक 28—4—1998 से भी अपील एक वर्ष 4 माह बाद देरी से प्रस्तुत की गई हैं। अभिभाषक की जानकारी पक्षकार की जानकारी होना माना गया हैं। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के समय ओ.एन.जी.सी. के अभिभाषक उपस्थित थे एवं निर्णय दिनांक 29—4—1994 को हुआ, जिसकी अपील दिनांक 16—8—1999 को पेश की गई, जो 5 वर्ष 3 माह 17 दिन बाद पेश हुई हैं। किसी भी दृष्टि से देखे तो यह स्पष्ट होता हैं कि अपील पूर्णतः मियाद बाहर पेश की गई हैं।

8— उक्त रिकार्डेड तथ्यों के बावजूद भी अपीलार्थी की तरफ से विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में धारा 5, मियाद अधिनियम के तहत जो देरी के आधार बताये गये हैं, वे सरासर असत्य, बनावटी व मनमाना हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कारण विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी ने

अपील को मियाद बिन्दु पर ही "होपलेसली टाईमबार्ड" मानते हुए खारिज किया, जो कानून की सीमा एवं तथ्यों के आधार पर बिल्कुल उचित हैं। अपने इन कथनों के समर्थन में 1991 आर. आर.डी. 152, 1981 ए.आई.आर. 1921 (एस.सी.), 2007 (2) आर. आर.टी. 939, 2009 (1) आर.आर.टी. 42, 2002 आर.आर.डी. 632 (एच.सी.), 1998 ए.आई.आर. 2276 (एस.सी.), 2007 (II) आर.आर. टी. 939, 2000 (I) आर.एल.डब्लु. 256 (राज.), 2010 (2) आर. आर.टी. 801, 2009–10 (supl.) आर.आर.टी. 535 (एस.सी.), 2009–10 आर.आर.टी. 01 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील में विद्वान राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को अपास्त कराना चाहते है, जिसका कोई कानूनी आधार नही है। उक्त तथ्यों के रहते प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यों से परे होने के कारण खारिज की जावें।

9– विद्धान् अभिभाषक का यह भी तर्क हैं कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में समवर्ती मत प्रकट किये हैं एवं तथ्यों पर आधारित उक्त दोनों निर्णयों के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत अपील में कोई कानूनी बिन्दु निहित नहीं हैं। इस बाबत 2007 (7) एस.सी. सी. 363, 1996 ए.आई.आर. 1558 (एस.सी.), 2009 (II) आर.आर. टी. 1394 (राज.), 1967 ए.आई.आर. 1853 (एस.सी.) के उद्धरण प्रस्तुत किये। विद्धान् अभिभाषक ने 2003 (I) सी.डी.आर. 269 (राज.) का न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि जहां एक बार तथ्यों की स्वीकारोक्ति दोनों पक्षकारान के मध्य हो जाती हैं, ऐसे विवाद पर राजस्व मण्डल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओ.एन.जी.सी. ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावा एवं राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट तौर पर कहा हैं कि प्रत्यर्थीगण–वादीगण की वादग्रस्त आराजी रकबा 6.08 बीघा पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं व न ही वे कब्जा करना चाहते हैं। उक्त तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जावें।

10– हमने मौखिक एवं लिखित बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया। उभय पक्ष के विद्धान् अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस, प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा विधि का समुचित अध्ययन एवं विवेचन किया।

11– पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण–वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे तथा अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर तथा न्यायालय राजस्व मण्डल में अपीलार्थी ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के विवरण से यह तथ्य स्पष्ट होता हैं कि वादीगण–प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त कुल आराजी 6.08 बीघा भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं, यह तथ्य प्रदर्श पी–2 जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 से साबित होता हैं।

परीक्षण न्यायालय के समक्ष विवादित रकबों का लठ्ठा ट्रेस के नक्शा की फोटोप्रति भी प्रस्तुत हुई हैं, जो प्रदर्श पी–1 हैं।

12– ओ.एन.जी.सी. के उपयोगार्थ 128.19 बीघा आराजी, भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्त की जाकर ओ.एन.जी.सी. के नाम नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 22–10–1988 द्वारा दर्ज की गई थी, जो प्रदर्श पी. 2 में अंकित हुई हैं। निर्विवाद रूप से वादग्रस्त 6.08 बीघा भूमि वादीगण–प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की हैं। इस तथ्य को अपीलार्थी–प्रतिवादी भी जवाब दावे में बिन्दु संख्या 2 में स्वीकार करता हैं।

13– विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से तहसीलदार, जोधपुर ने भी जवाब दावा प्रस्तुत किया, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य सीमा विवाद को पत्थरगढ़ी के माध्यम से निदान करने का अंकन किया हैं। दिनांक 03–3–1994 को परीक्षण न्यायालय ने 3 तनकी कायम की। तनकीयात कायमी के पश्चात् वादीगण के गवाहों के बयान लिये गये। दिनांक 16–3–1994 की परीक्षण न्यायालय की आदेशिका महत्वपूर्ण हैं। दिनांक 16–3–1994 की आदेशिका का अंकन निम्न प्रकार हैंः–

16–3–94 "वादी के वकील हाजिर। प्रतिवादी के वकील हाजिर। सरकारी पेरोकार हाजिर। गवाह हरप्यारी, चैनसिंह व अनिल कुमार से आज जिरह की गई। वकील वादी और गवाह पेश नहीं करना चाहते एवं वकील प्रतिवादीगण भी अपने गवाह पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः शहादत बंद की जाती हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21–3–94 को पेश हो।"

14– आदेशिका के मार्जिन पर एक अभिभाषक के भी हस्ताक्षर हैं। आदेशिका के इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रतिवादी ओ.एन.जी.सी. व राज्य सरकार की तरफ से कोई गवाही पेश नहीं की गई एवं बाद बहस दिनांक 29–4–1994 को परीक्षण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी कर दी। वाद में पारित निर्णय का आदेशात्मक पैरा निम्न प्रकार हैं :–

"अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नं0 1586 / 1 रकबा 1.19 बीघा, खसरा नं0 1585 / 1 रकबा 0.08 बिस्वा, खसरा नं0 1586 / 9 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नं0 1588 / 2 रकबा 2.5 बीघा में किसी प्रकार का दखल न करें और न ही किसी अन्य से कराये। डिक्री पर्चा जारी किया जावें।"

15— इस निर्णय व डिक्री में प्रतिवादी संख्या 1, जो कि ओ.एन.जी.सी. हैं, की तरफ से अभिभाषक श्री डी.एम. लोढ़ा की उपस्थिति अंकित हैं।

16— इस सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई विवाद बिन्दु भी नही उठाया गया। राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी पक्ष की तरफ से परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई ऐतराज व आक्षेप नहीं उठाया हैं।

17— पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण—रेस्पोन्डेन्ट्स का वाद दिनांक 29—4—1994 को डिक्री किया था जिसकी अपील अपीलान्ट—प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनांक 16—8—1999 को प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील को लगभग 5 वर्ष 3 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से मियाद के बिन्दु पर ही "होपलेसली टाईमबार्ड" मानकर दिनांक 15—1—2001 को खारिज कर दी।

18— पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता हैं कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29—4—1994 की जानकारी अपीलान्ट—प्रतिवादी के अभिभाषक श्री दशरथ मल लोढ़ा द्वारा उनके पक्षकार को माह फरवरी 1995 में ही प्रेषित कर दी गई थी तथा उक्त निर्णय की प्रति अपीलान्ट—प्रतिवादी द्वारा उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.पी. गुप्ता को विशेषज्ञ राय हेतु सुपुर्द की थी। तत्पश्चात अपीलान्ट्—प्रतिवादी के अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 7—4—1998 को दे दी थी उसके पश्चात भी अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बाबत कोई चाराजोही नही की गई तथा दिनांक 16—8—1999 को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—4—1994 की पूर्णतः जानकारी थी। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वादी—रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 6 / 98 में अपीलान्ट—प्रतिवादी की तरफ से दिनांक 3—2—1999 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के मद संख्या 1, 5 व 7 में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का पूर्ण विवरण अंकित किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट के जनरल मैनेजर के वकालतनामें पर हस्ताक्षर है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट—प्रतिवादी को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 3—2—1999 को भी थी इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपील दिनांक 16—8—1999 को प्रस्तुत की गई है। वादी—रेस्पोन्डेन्ट द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29—4—1994 की पालना कराये जाने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 सिविल प्रक्रिया

संहिता दिनांक 7–4–1997 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से अपीलान्ट–प्रतिवादी को थी क्योंकि, अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10–7–1997 को अपनी उपस्थित दर्ज कराई थी। इन समस्त तथ्यों से यह भलीभांति स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी थी, परन्तु उन्होंने जान–बूझकर रेस्पोन्डेन्ट–वादी की इजराय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने की गरज से अपील देरी प्रस्तुत की।

19– प्रत्यर्थीगण की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2009–10 (सप्लिमेंट्री) आर.आर.टी. पृष्ठ–535 (उच्चतम न्यायालय) ओरियेन्टल ऐरोमा कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि0 बनाम गुजरात इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कॉरपोरेशन व अन्य में यह स्थापित किया गया कि गलत व मिथ्या कथन पर न्यायालय को गुमराह किया गया, विलम्ब शमन का आदेश दोषपूर्ण व अपास्त किया गया। यहां पर भी रिकार्ड पर तथ्य भिन्न व धारा 5, मियाद अधिनियम में गलत कथन किया।

20– 2010 (2) आर.आर.टी. 801 (उच्चतम न्यायालय) में 3 दिन के विलम्ब को उचित कारण नहीं दर्शाने के कारण मियाद बाहर अपील मानकर खारिज किया। हस्तगत प्रकरण में भी उचित कारण नहीं दर्शाया गया हैं। 2006 (I) आर.आर.टी. 355 (उच्चतम न्यायालय) प्रतापसिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य में स्पष्ट किया कि शपथ–पत्र में गलत कथन के आधार पर धारा 5, मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थी का आचरण दुराचार की श्रेणी में आता हैं। 2000 (I) आर.एल.डब्लु. (राज0) 256 स्टेट बनाम अमोलक चंद व अन्य में राज्य सरकार द्वारा अपील पेश करने में उपेक्षा बरती व राजस्व मण्डल ने मियाद बिन्दु पर अपील "होपलेसली टाईमबार्ड" मानकर खारिज की, जिसे उचित माना गया। 1997 आर.आर.डी. 350 स्टेट बनाम सुखदेव में राज्य सरकार की 63 दिन देरी से बिना औचित्य स्पष्ट किये पेश अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किया। 2006 (I) आर.आर.टी. 383 (उच्चतम न्यायालय) धारा 175, 42 (बी) से संबंधित होने से चस्पा नहीं होती। 1998 ए.आई.आर. 2276 पी.के.रामचन्द्रन बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य में 565 दिन की देरी को बिना औचित्य एवं आधार के अस्वीकार किया गया, इससे हम सहमत हैं। 2002 आर.आर.डी. 632 केन्द्र सरकार बनाम बिजलाल व अन्य में केन्द्र सरकार द्वारा 83 दिनों की देरी को अपर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं स्पष्ट करने पर माफ नहीं किया, इससे हम सहमत हैं। 2009 (I) आर.आर.टी. 432 (उच्चतम न्यायालय) में 1724 दिनों की देरी को माफ करने हेतु असत्य कथन किया, जिसके आधार पर अपील अस्वीकार की गई। इस बाबत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें 2009–10 (सप्लिमेंट्री) आर.आर.टी. पृष्ठ–1 (उच्चतम न्यायालय) स्नेह गुप्ता बनाम देवी स्वरूप व अन्य चस्पा नहीं, क्योंकि धारा 5, मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अभाव में देरी को माफ नहीं किया

जा सकता, का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ हैं, जो हस्तगत प्रकरण से मैच नहीं करता।

21— उक्त न्यायिक दृष्टांतों की व्याख्या एवं रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विवेचन के पश्चात् यह स्थापित होता हैं कि विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश अपील स्पष्ट तौर पर मियाद बाहर पेश हुई हैं। धारा 5, मियाद अधिनियम में प्रस्तुत तथ्य अपूर्ण एवं पत्रावली पर उपलब्ध कथनों से अलग हैं, जो स्वीकार नहीं किये जा सकते। न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्य नहीं रखे गये। इसी आधार पर विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने मियाद बिन्दु पर अपील खारिज कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया हैं। अतः विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी के धारा 5, मियाद अधिनियम के निर्णय के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती हैं।

22— परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 29—4—1994 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि विवादग्रस्त आराजीयात रेस्पोन्डेन्ट—वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। अपीलान्ट—प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि विवादित खसरा नम्बर से उनका कोई लेना देना नही है और ना ही वे उक्त आराजीयात पर काबिज है। रेस्पोन्डेन्ट—वादी द्वारा दर्शाये गये खसरा नम्बर 1586/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसके पड़ोस में पूर्व—पश्चिम व दक्षिण की ओर ओ.एन.जी.सी. विभाग की भूमि व उत्तर में गांव मण्डोर से सूरसागर जाने वाली सड़क है। खसरा संख्या 1585/1 रकबा 8 बिस्वा जिसके पड़ोस में पूर्व की तरफ ओमप्रकाश पुत्र प्रतापजी वगैरह की भूमि, पश्चिम में वादीगण—अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि, उत्तर में ओ.एन. जी.सी. की भूमि, दक्षिण के ओम प्रकाश पुत्र प्रताप जी एवं वादीगण—अपीलान्ट्स की कृषि भूमि है। खसरा संख्या 1586/9 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके पड़ोस में पूर्व में ओमप्रकाश पुत्र प्रताप जी वगैरह की भूमि, पश्चिम व उत्तर की ओर ओ.एन.जी. सी. विभाग की भूमि, दक्षिण में सीमा सुरक्षा बल की भूमि है। खसरा नम्बर 1588/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके पड़ोस में पूर्व में खसरा नम्बर 15692 की भूमि व जोधपुर से मंडोर जाने वाली आम सड़क, पश्चिम में मंडोर से सूरसागर जाने वाली आम सड़क व खसरा नम्बर 1597 की पाल, उत्तर में मंडोर से सूरसागर जाने वाली सड़क, दक्षिण में खसरा नम्बर 1588/3 की अन्य खातेदारान की भूमि है तथा उक्त खसरा नम्बरान के मध्य वादीगण/अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि है।

23— इस प्रकार अपीलार्थी यह स्वीकार करते हैं कि वादग्रस्त आराजी पर न तो उनका कब्जा हैं व न ही वे कब्जा करना चाहते हैं। अपने इन कथनों से वे पाबंद हैं एवं मुकर नहीं सकते। इस बाबत प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत 1981 ए.आई.आर पृष्ठ 1921 (उच्चतम न्यायालय), 2000 आर.आर.डी. 194 (उच्च न्यायालय), 1998 आर.आर.डी. 639 (उच्च न्यायालय), 1997 (II)

आर.एल.डब्लु. 845 (राज.) के न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का हम आदर करते हैं एवं अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। इस स्वीकारोक्ति के बाद राजस्व मण्डल में अपील पेश करने का क्या औचित्य रह जाता हैं। 2003 (I) सी.डी.आर. 269 (राज.) से भी इस कथन की पुष्टि होती हैं।

24— परीक्षण न्यायालय ने मेरिट पर निर्णय किया हैं एवं राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील में परीक्षण न्यायालय के किसी भी बिन्दु को चुनौति नहीं दी, जबकि विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा धारा 5, मियाद अधिनियम के बिन्दु पर निर्णय दिया गया हैं एवं उपर्युक्त पैरा 17 व 18 में यह स्पष्ट तौर पर साबित हुआ हैं कि अपीलार्थी ने विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील मियाद बाहर पेश की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं हैं व न ही कानूनन अनुमत किया जा सकता हैं। इस बारे में प्रत्यर्थीगण की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2007 (7) एस.सी.सी. 363, 1996 ए.आई.आर. 1558 (उच्चतम न्यायालय), 2009 (II) आर.आर. टी. 1394 (राज.), 1967 ए.आई.आर. 1853 (उच्चतम न्यायालय) में उल्लेखित मार्गदर्शन से इन कथनों को और बल मिलता हैं।

25— विद्धान् अपीलार्थी का यह निवेदन कि प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें, इसके समर्थन में जो न्यायिक उद्धरण पेश किये हैं, यह स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि परीक्षण न्यायालय के विरूद्ध कोई ऐतराज अपील में उठाया नहीं गया तथा अपील स्पष्टतः व भारी मियाद बाहर होने से विद्धान् राजस्व अपील प्राधिकारी ने खारिज की, जिसके विरूद्ध कोई ठोस आधार पेश नहीं किया गया।

26— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने एवं कानून की दृष्टि से बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य

(बी. एल. गुप्ता)
सदस्य